173

संख्या–246/IX(25)अनुरक्षण/EC-135/05-06

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्यन निदेशालय,
जौलीग्रान्ट एअरपोर्ट,
देहरादून ।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2 देहरादून:दिनॉक: 14 दिसम्बर2011

विषयः– **नागरिक उड्डयन निदेशालय के अधिष्ठान में आयोजनेतर पक्ष के लेखाशीर्षक में कतिपय मानक मदों पर अपरिहार्यता पर राज्य आकस्मिकता निधि से अतिरिक्त बजट प्राविधान एवं आवंटन ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2282/ रा0ना0उ0नि0/ इंजी0ई0–2 / 011, दिनॉक 08 दिसम्बर,2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–2012 में नागरिक उड्डयन निदेशालय के अधिष्ठान में आयोजनेतर पक्ष के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 3053 में पर्याप्त आय–व्ययक प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण् एवं वचनबद्ध मदों में धनराशि की अति आवश्यकता एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत् राज्य के विमानों के अनुरक्षण,विशेषकर EC-135 हैलीकॉप्टर के दोनों इंजनों को निर्माता फर्म से strip inspection तथा मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय हेतु 29–अनुरक्षण मद में रुपये 2.62 करोड़ (रुपये दो करोड़ बासठ लाख मात्र) एवं समय–समय पर विशिष्ट महानुभावों के लिये किराये के विमानों के भुगतान व्यवस्था हेतु 42–अन्य व्यय मद में रुपये 100.00 लाख (रुपये एक करोड़ मात्र) इस प्रकार कुल रुपये 3.62 करोड़ (रुपये तीन करोड़ बासठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)– उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति यथासमय आगामी अनुपूरक अनुदान/नई मांग द्वारा करा ली जायेगी।

(ii)– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल , वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की ली जाये।

(iii)– किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

(iv)– आंवटित बजट की सीमा में प्रतिमाह की 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0 13 पर ब्यय की सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(v)– व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमों व तद्विषयक शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi)– राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत धनराशि के समायोजन के लिये नई मांग/अनुपूरक मांग के समय प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय प्रथमतया 8000 आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि लेखा–201 समेकित निधि को विनियोजन तथा अन्तत : अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 3053 नागर विमानन–80 सामान्य–आयोजनेतर–003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा–03 नागरिक उड्डयन–00 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–673/**XXVII (2)**/रा0आक0निधि0/2011 दिनांक 14–12–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा) 14/12
प्रमुख सचिव

संख्या– 19/**XXVII(1)**/रा0आक0निधि/2011 दिनांक 14–12–2011

प्रतिलिपि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम, उत्तराखण्ड देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

आज्ञा से,

शरद चन्द्र पाण्डेय
अपर सचिव वित्त

संख्या–2461/**IX(25)**अनुरक्षण/**EC-135/05-06, समदिनांकित**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा , देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आहरण वितरण अधिकारी, नागरिक उड्डयन विभाग, देहरादून।
4– गार्ड बुक।
5– एन0आई0सी0 सचिवालय, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2/1, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा) 14/12/11
प्रमुख सचिव